न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी:– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस

...रण संख्या 88/14

1. ...पाल कौर पुत्र स्व0 श्री जगराजसिंह पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह जाति मजबी निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

–वादीनी

बनाम

1. गुरजन्ट सिंह पिसरान स्व0 श्री जगराजसिंह जाति मजहबी निवासी चक 12 बीजीडी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. चरणसिंह उर्फ गुरचरण सिंह पिसरान स्व0 श्री जगराजसिंह जाति मजहबी निवासी चक 12 बीजीडी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. हरबंश सिंह पिसरान स्व0 श्री जगराजसिंह जाति मजहबी निवासी चक 12 बीजीडी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. पूर्णसिंह पिसरान स्व0 श्री जगराजसिंह जाति मजहबी निवासी चक 12 बीजीडी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. मनजीत कौर पत्नी वीर सिंह जाति मजहबी निवासी 12 बीजीडी ए तहसील रायसिंहनगर।
6. सुनेद्र सिंह पिसरान वीर सिंह जाति मजहबी निवासी 12 बीजीडी ए तहसील रायसिंहनगर।
7. धीठा पिसरान वीर सिंह जाति मजहबी निवासी 12 बीजीडी ए तहसील रायसिंहनगर।
8. गुड्डी पुत्री स्व0 श्री जगराज सिंह पत्नी महेन्द्रसिंह जाति मजहबी निवासी हरीपुरा (26 जी.बी.) तहसील श्रीविजयनगर।
10. करनैल कौर पुत्री स्व0 श्री जगराजसिंह पत्नी श्री करनैल सिंह जाति मजहबी निवासी 53 एनपी तहसील रायसिंहनगर।
11. फतीबाई पुत्र स्व0 श्री जगराजसिंह पत्नी श्री काकासिंह जाति मजहबी निवासी निरवाणा तहसील सुरतगढ़।
12. मनजीत कौर पत्नी करनैलसिंह जाति मजहबी निवासी 6 जेकेएम तहसील रायसिंहनगर।
13. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92 ए राज.काश्त.अधि.

उपस्थितिः–

1. श्री सोहन लाल जोशी वकील वादीनी
2. श्री राजीव जग्गा वकील प्रतिवादीगण
3. श्री अजय तनेजा वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः– 20-8-19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 12 बीजीडी 'ए' के मु.नं. 172/389 के 4.820 है0 भूमि जगराजसिंह पुत्र सौदागार सिंह जाति मजहबी निवासी 12 बीजीडी 'ए' के नाम खातेदारी थी। जगराज सिंह को यह भूमि कर्ता परिवार के आधार पर आवंटन हुई थी। इसलिए यह संयुक्त सहदायी सम्पति थी। जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का बराबर अधिकार है। जगराज की मृत्यु 15.08.04 को हो गई थी। तत्समय परिवार के समस्त सदस्यगण एकत्रित नही हो सके। दिनांक 19.10.07 को समस्त परिवारगण इकटठे हुए तो पंचायत के औपचारिकताएं पूर्ण कर स्व0 जगराजसिंह के समस्त उतराधिकारियों के नाम ईन्तकाल सं. 127 मय वादिनी के पक्ष में दर्ज कर दिया उक्त ईन्तकाल सं. 127 प्रकरण पुनः जांच कर निर्णय हेतु तहसीलदार को भिजवा दिया

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

गया। तहसीलदार द्वारा बिना जांच किये एकतरफा रूप से प्रतिवादीगण 1 ता 4 व वीर सिंह घरू प्रस्तुत वसीयत अजतरफ, जगराजसिंह, बहक पुत्रगण उपरोक्त पांचों के नाम ईन्तकाल सं. 167 दर्ज कर दिया जो अभी तक स्वीकृत नही हुआ है। इस सुनवाई में मुझ वादीनी को नही सुना गया। जगराज सिंह कैंसर की बीमारी से ग्रस्त था। जिसे नशे में रखा जाता था। अर्द्ध बेहोशी में रहता था। यह वसीयत उनके द्वारा अपनी इच्छा से स्वस्थचित से नही की है। इसलिए यह वसीयत अमान्य, प्रभावहीन एवं अकृत्य व शून्य है। वादीनी की माता का भी देहान्त हो गया है। इसलिए 1/9 हिस्सा का त्याग कर रही है। जो कि .535 है0 भूमि बाद घोषणा परिणामस्वरूप अनुतोष स्वरूप राजस्व अभिलेखों में वादिनी के हिस्से का वादिनी के पक्ष में अमल दरामद किया जाने का आदेश फरमाया जावे। घोषणा के पश्चात ईन्तकाल सं. 167 जो अप्रमाणित है को अकृत्य शून्य स्वयं प्रमाणित घोषित किया जाकर निरस्त किया जावे। अमल दरामद के पश्चात वादग्रस्त सम्पदा का बंटवारा किया जाकर उसमें से वादिनी का .535 है0 भाग अलग विभाजित किया जावे व पानी व रास्ता को सहूलियत दी जावे व कब्जा दिलाया जावे।

प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 व 11 की ओर से राजीव जग्गा अधिवक्ता द्वारा जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 8 व 10 के विरूद्व दिनांक 01.12.14 को एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये। स्टेट की तरफ से राजपैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया। निम्न तनकी कायम की गई :-

1. आयाकि चक 12 बी.जी.डी.'ए' तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 26 पं.नं. 172/389 का 4.820 है0 रकबा नहरी स्व0 श्री जगराजसिंह पुत्र सोदागरसिंह जाति मजबी को बेहैसियत कर्ता परिवार को आवंटित हुई थी ?
   — **वादी**

2. आयाकि वाद ग्रस्त सम्पति सहदायी सम्पति नही है और इस सम्पति में जगराजसिंह के परिवार के समस्त सदस्यों का भाग नही है ? वादग्रस्त सम्पति जगराज सिंह की स्वःअर्जित सम्पति की श्रेणी में आती है, जिसके वसीयत के अधिकार प्राप्त थे ?
   — **प्रतिवादी**

3. आयाकि जगराज सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके समस्त परिवार व सदस्यो के पक्ष में पंचायत हल्का द्वारा किया गया इन्तकाल सं. 127 दिनांक 19.10.07 मान्य था ?
   — **वादी**

4. आयाकि स्व0 जगराजसिंह वादग्रस्त सम्पदा की वसीयत करने का अधिकारी नही था ?
   — **वादी**

5. आयाकि वादग्रस्त वसीयत दिनांक 01.04.04 विधि विपरीत अमान्य कुटरचित एवं शुन्य है, इसलिए इससे प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही मिले है ?
   —वादी

6. आयाकि वसीयत दिनांक 01.04.04 के आधार पर किया गया, इन्तकाल सं. 167 विधि विपरित है, जो निरस्त किये जाने लायक है ?
   —वादी

7. आयाकि वादीनी वादग्रस्त सम्पदा में अपना अधिकार घोषित करवाकर इसका बंटवारा करवाकर अपना कब्जा प्राप्त करने की अधिकारीनी है ?
   —वादी

8. अनुतोष ?

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

वादिया द्वारा असल वसीयत पेश करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। जो स्वीकार किया गया। प्रतिवादी पूर्ण सिंह द्वारा प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निर्वहन किया कि प्रतिवादीगण से असल वसीयत तलब फरमाई गई है। लेकिन वसीयत ईन्तकाल प्रकरण में तहसीलदार भू.अ. रायसिंहनगर को असल वसीयत पेश की थी। जो हमारे पास नही है। इसलिए असल वसीयत पेश करने में असमर्थ हूँ। वकील वादिया द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश कर निर्वहन किया कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय साक्ष्य में वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि को साक्ष्य में ग्रहण किया जावे। वादिया की इस्तदुआ स्वीकार कर प्रमाणित प्रति वसीयत को द्वितीय साक्ष्य से ग्रहण किया गया। वकील वादी द्वारा साक्ष्य में वादिया का शपथ पत्र आर डब्ल्यू–1 एवं गवाहान के शपथ पत्र साक्ष्य में पी डब्ल्यू–2 व 3 पेश किये गये साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दो तीन अवसर दिये गये साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि में 4.820 है0 में 1/9 हिस्सा की खातेदार घोषित किया जाकर बंटवारा कर कब्जा दिलवाने व रास्ता आदि की व्यवस्था करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि जगराज सिंह अकेले को ही आवंटन की गई थी, वादिनी का हिस्सा .482 है0 नही बनता है। जगराज सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 01.04.04 को अलग–अलग किलाजात के हिसाब से अपने लड़को गुरजंटसिंह, चरणसिंह, वीरसिंह, हरबंशसिंह व पूर्णसिंह के पक्ष में वसीयत रोबरू गवाहान की थी। वसीयतनुसार कब्जा वसीयतकर्तागण को सुपुर्द कर दिया था। विरास्तन ईन्तकाल गलत तरीके से करवाया गया था। जिसकी अपील 13/07 पेश की थी। जो माननीय न्यायालय दिनांक 29.07.10 को स्वीकार कर विरास्तन इन्तकाल निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर को रिमाण्ड कर साक्ष्य ली जाकर वसीयत विधि आदेश अनुसार जांच कर निर्णय किये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा प्रकरण की सुनवाई की जाकर साक्ष्य लेकर वसीयत विधि सम्मत पाये जाने पर वसीयत 01.04.04 अनुसार रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश 09.01.12 को पारित किये गये। जिसके अनुसार इन्तकाल सं. 167 दिनांक 16.02.12 दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है। अतः वाद वादिया खारिज किया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया गया हैः–

1. आयाकि चक 12 बी.जी.डी.'ए' तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 26 पं.नं. 172/389 का 4.820 है0 रकबा नहरी स्व0 श्री जगराजसिंह पुत्र सोदागरसिंह जाति मजबी को बेहैसियत कर्ता परिवार को आवंटित हुई थी ?

– वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। प्रदर्श–6 भूमि आवंटन निर्णय दिनांक 15.12.75 अनुसार चक 12 बीजीडी 'ए' के मु.नं. 172/389 के 20.03 बीघा भूमि अकेले जगराजसिंह पुत्र सौदागर को आवंटन की गई है। तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अनुसार पिता की प्राप्त भूमि 15 बीघा में से तीन हिस्से में (पिता, भाई व स्वयं) 5–00 बीघा आनी दर्शायी गई है। आवंटन आदेश भी अकेले जुगराजसिंह के नाम से जारी किया गया है। जिससे यह साबित होता है कि भूमि जुगराजसिंह के नाम से आवंटन की गई है। अतः उक्त 20–03 बीघा अकेले जुगराजसिंह के नाम से आवंटन की गई है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

2. आयाकि वाद ग्रस्त सम्पति सहदायी सम्पति नही है और इस सम्पति में जगराजसिंह के परिवार के समस्त सदस्यों का भाग नही है ? वादग्रस्त सम्पति जगराज सिंह की स्वःअर्जित सम्पति की श्रेणी में आती है, जिसके वसीयत के अधिकार प्राप्त थे ?

– प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादग्रस्त सम्पति अकेले जुगराज सिंह को आवंटन हुई थी। तनकी सं. एक में यह भलीभाति साबित हो गया है कि भूमि स्वयं जगराजसिंह को अकेले को आवंटन हुई थी। अतः तनकी सं. 1 का निर्णय खिलाफ वादिनी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। जुगराज सिंह स्वःअर्जित सम्पति की वसीयत करने के लिए स्वतंत्र है। अतः तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादिया के विरूद्व निर्णित की जाती है।

3. आयाकि जगराज सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके समस्त परिवार व सदस्यो के पक्ष में पंचायत हल्का द्वारा किया गया इन्तकाल सं. 127 दिनांक 19.10.07 मान्य था ?

– वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इन्तकाल सं. 127 दिनांक 19.10.07 की अपील होने पर अपील स्वीकार कर प्रकरण जांच कर विधिमान्य निर्णय किये जाने हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया था। तहसीलदार द्वारा दिनांक 09.01.12 को वसीयत अनुसार इन्तकाल किये जाने के आदेश दिये गये थे। वसीयत दिनांक 01.04.04 प्रस्तुत होने पर तहसीलदार द्वारा वसीयत अनुसार ईन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये एवं इन्तकाल सं. 167 दर्ज किया गया। जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। जब तक माननीय न्यायालय में अन्तिम निर्णय नही हो जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी आंशिक रूप से वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. आयाकि स्व0 जगराजसिंह वादग्रस्त सम्पदा की वसीयत करने का अधिकारी नही था ?

– वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। तनकी सं. 2 में पूर्व में ही विवेचना की जा चुकी है कि वादग्रस्त सम्पति जगराजसिंह की स्वःअर्जित थी। जिसे वसीयत करने में वह स्वतंत्र है। अतः अलग से विवेचना करने की आवश्यकता नही है। अतः तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादिया के विरूद्व निर्णित की जाती है।

5. आयाकि वादग्रस्त वसीयत दिनांक 01.04.04 विधि विपरीत अमान्य कुटरचित एवं शुन्य है, इसलिए इससे प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही मिले है ?

–वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादिया वसीयत को विधि विपरीत अमान्य व कूटरचित साबित करने में असमर्थ रही है। वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में वसीयत के संबंध में निगरानी जेरकार है। अतः उक्त तनकी खिलाफ वादिया निर्णित की जाती है।

6. आयाकि वसीयत दिनांक 01.04.04 के आधार पर किया गया, इन्तकाल सं. 167 विधि विपरित है, जो निरस्त किये जाने लायक है ?

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

—वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वसीयत दिनांक 01.04.04 के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्व वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से निगरानी विचाराधीन है। जब तक निर्णय नही हो जाता है तब तक यह नही तय किया जा सकता कि ईन्तकाल सं. 167 विधि विपरित किये जो निरस्त किये जाने के लायक है। वसीयत के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय किया जाना है। अतः उक्त तनकी खिलाफ वादिया निर्णित की जाती है।

7. आयाकि वादीनी वादग्रस्त सम्पदा में अपना अधिकार घोषित करवाकर इसका बंटवारा करवाकर अपना कब्जा प्राप्त करने की अधिकारीनी है ?

—वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। तनकी सं. 1 ता 6 को निर्णय वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में हो चुका है एवं वसीयत के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी विचाराधीन है। अतः वादग्रस्त सम्पदा में वादिनी अपना अधिकार घोषित करवाकर इसका बंटवारा अपना कब्जा प्राप्त करन के अधिकारी नही है। अतः उक्त तनकी का निर्णय वादिया के विरूद्व किया जाता है।

8. अनुतोष ?

अतः उक्त प्रकरण में भूमि की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। उनके निर्णय अनुसार ही आगामी कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में वाद वादिया खारिज किया जाता है। खर्चा वादिनी व प्रतिवादीगण अपना—अपना वहन करेंगें। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.8.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्डाधिकारी, (राजस्व)
रायसिंहनगर

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner